न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 134 / 2017 प्रा.पत्र

अनवान

1. पारस पत्नि जगदीशचन्द्र जाट निवासी शिवरती तहसील सहाडा जि भीलवाडा।

––प्रार्थीयां

बनाम

1. नानुनाथ पिता बालुनाथ निवासी चौकीखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. भीमनाथ पिता बालुनाथ निवासी चौकीखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
3. जमनी बेवा बालुनाथ निवासी चौकीखेडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
4. चम्पा पिता मोती भील निवासी रामनगरी तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
5. हजारी पिता पेमा बलाई निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

––विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–08.01.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयां ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम शिवरती पटवार हल्का शिवरती तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 814 रकबा 0.05 हे0, आराजी न0 815 रकबा 0.01 हे0, आराजी नम्बर 816 रकबा 0.03 हे0, आराजी नम्बर 817 रकबा 0.14 हे0, आराजी नम्बर 818 रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 822 रकबा 0.06 हे0, आराजी नम्बर 823 रकबा 0.24 हे0, आराजी नम्बर 824 रकबा 0.35 हे0, आराजी नम्बर 825 रकबा 0.10 हे0, कुल किता 9 कुल रकबा 1. 08 हे0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 248 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। प्रार्थीयां अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण सं0 1 से 5 बाद तामील अनुपस्थित। बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीयां अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र पर एक पक्षीय बहस की गई। बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम शिवरती पटवार हल्का शिवरती तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 814 रकबा 0.05 हे0, आराजी न0 815 रकबा 0.01 हे0, आराजी नम्बर 816 रकबा 0.03 हे0, आराजी नम्बर 817 रकबा 0.14 हे0, आराजी नम्बर 818 रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 822 रकबा 0.06 हे0, आराजी नम्बर 823 रकबा 0.24 हे0, आराजी नम्बर 824 रकबा 0.35 हे0, आराजी नम्बर 825 रकबा 0.10 हे0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि की बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते है। प्रार्थीयां बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

पैरवी स्वीकार है

हस्ताक्षर वकील 18/12/17

अधिकार पत्र देने वाले/ वाले पहचाना है जिसके
लिये मैने विश्वास कर लिया है।

ता. 18 माह 12 सन् 17